न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 24/2019

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 ठाकराराम पुत्र चुतराराम जाति रबारी निवासी उदय नगर (बाडमेर आगोर) तहसील व जिला बाडमेर।		1 नथूदेवी पत्नी जगदीश 2 सुआ पुत्री जगदीश प्रतिवादी संख्या 02 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता प्रतिवादी संख्या 01 नथूदेवी 3 मेवाराम 4 डालूराम पिसरान चुतराराम जाति रबारी निवासी उदय नगर (बाडमेर आगोर) 5 कानूदेवी पत्नी मगाराम जाति जाट निवासी गांधीनगर, बाडमेर शहर 6 तुलसी पत्नी भीखाराम जाति रबारी निवासी बाडमेर मगरा 7 जोगाराम पुत्र भीखाराम जाति रबारी निवासी उदय नगर बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 RTA Act.

उपस्थिति :— 1. श्री करनाराम चौधरी, वकील वादी।
2. श्री वीरमाराम चौधरी एवं श्री हनुमानसिंह वकील प्रतिवादीगण।

निर्णय

दिनांक 13-9.19

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिनका वंश वृक्ष निम्नानुसार है :—

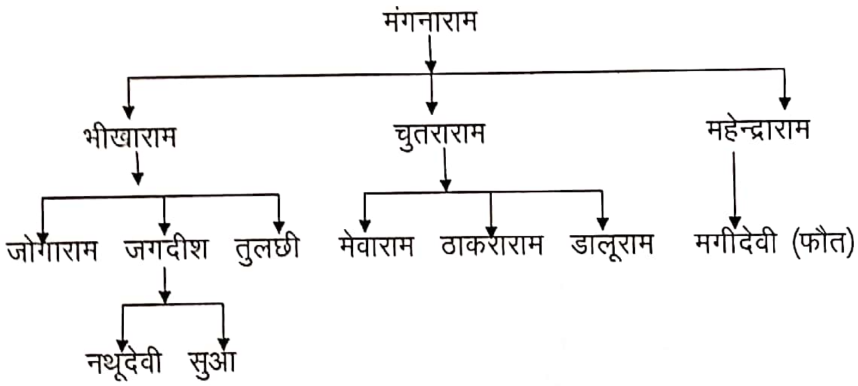

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04, 06 व 07 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा बाडमेर आगोर वर्तमान राजस्व ग्राम उदय नगर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 321 रकबा 24.17 बीघा आई हुई है। उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा भीखाराम का 1/3 हिस्सा चुतराराम का व 1/3 हिस्सा महेन्द्राराम का था। भीखाराम के वंशज ने प्रतिवादी संख्या 01, 02, 06 व 07 चुतराराम के वंशज में वादी ठाकराराम, प्रतिवादी संख्या 03 व 04 है। उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा महेन्द्राराम का था तथा महेन्द्राराम के फौत होने पर उसका 1/3 हिस्सा मगीदेवी पत्नी महेन्द्राराम के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया। प्रतिवादी मेवाराम, वादी ठाकराराम व डालूराम के 1/3 हिस्से में से 100/497 हिस्सा भूमि का बेचान प्रतिवादीनी संख्या 05 कानू का कर दिया था। इसलिए चुतराराम के 1/3 हिस्सा में मेवाराम, ठाकराराम व डालूराम का 65/497 हिस्सा मात्र ही शेष रहता है। महेन्द्राराम ने अपने जीवनकाल में अपनी पत्नी सहित चुतराराम व उसके बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के साथ रहता

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

था तथा महेन्द्राराम का देहान्त होने पर महेन्द्राराम की समस्त खातेदारी भूमि मगीदेवी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई तथा मगीदेवी का देहान्त दिनांक 16.06.2017 को लाऔलाद हो गया। मगीदेवी ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से में आने वाली सम्पूर्ण भमि वादी व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 को प्रेमवश मौखिक रूप से वसियत कर दी थी तथा महेन्दाराम व मगीदेवी के देहान्त के पश्चात उनके समस्त धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार क्रियाकर्म व अनुष्ठान इत्यादी वादी व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 द्वारा किये गये, इसलिए मगीदेवी की सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के खातेदारी में घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादी व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का चुतराराम से प्राप्त भूमि में 65/497 व मगीदेवी से प्राप्त 1/3 हिस्सा भूमि अर्थात 165/497 हिस्सा की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के हिस्से में 230/497 हिस्सा भूमि घोषित करवाने के अधिकारी है।

वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01, 02, 06 व 07 की और से ईकबाली जवाब प्रस्तुत किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 तथा 06 से 07 द्वारा उपस्थित होकर वाद के समर्थन में राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 05 की और से वकील श्री वीरमाराम चौधरी उपस्थित हुए। वकील प्रतिवादी संख्या 05 जवाब प्रस्तुत नही करना चाहते है। उनका कथन है कि माफिक राजीनामा वाद डिकरी किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। उभय पक्षों के वकीलों द्वारा माफिक राजीनामा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज एवं राजीनामा का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं राजीनामा के मद्देनजर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम उदय नगर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 321 रकबा 24.17 बीघा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का 230/497 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01, 02, 06 व 07 का 165/497 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 05 का 100/497 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 13/09/19 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 ठाकराराम पुत्र चुतराराम जाति रबारी निवासी उदय नगर (बाडमेर आगोर) तहसील व जिला बाडमेर।		1 नथूदेवी पत्नी जगदीश 2 सुआ पुत्री जगदीश प्रतिवादी संख्या 02 नावालिग जरिये कुदरती वलिया माना प्रतिवादी संख्या 01 नथूदेवी 3 मेवाराम 4 डालूराम पिसरान चुतराराम जाति रबारी निवासी उदय नगर (बाडमेर आगोर) 5 कानूदेवी पत्नी मगाराम जाति जाट निवासी गांधीनगर, बाडमेर शहर 6 तुलसी पत्नी भीखाराम जाति रबारी निवासी बाडमेर मगरा 7 जोगाराम पुत्र भीखाराम जाति रबारी निवासी उदय नगर बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर।

दावा बाबत् 88, 188 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 24 / 2019
निर्णय दिनांक :– ...13/09/19........

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ....13/09/19.... को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादी का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा उदय नगर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 321 रकबा 24.17 बीघा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का 230 / 497 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01, 02, 06 व 07 का 165 / 497 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 05 का 100 / 497 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख ....13/09/19.... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) बाड़मेर)

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner